राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 12 06 2018 (अप्रेल से जून 2018) को आयोजित बैठक का कार्यवृत

पोसोको कार्यालय मे दिनांक 12 जून, 2018 को प्रात: 10 बजे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री के वी एस बाबा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई जिसमे पोसोको कार्यालय व राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया ।

राजभाषा कार्यांन्वयन समिति के सदस्य

श्री के वी एस बाबा, अध्यक्ष
श्रीमती मीनक्षी डावर, सदस्य
श्री पी के अग्रवाल, सदस्य
श्री रंजन कुमार श्रीवास्तव, सदस्य
श्री एस आर नरसिम्हन, महाप्रबंधक (सिस्टम ऑपरेशन)
श्रीमती मीनाक्षी गर्ग, महाप्रबंधक (अक्षय ऊर्जा, संविदा और के आयोजना)
श्री निशदीप सिंह, उपमहाप्रबंधक (मानव संसाधन)
श्री समीर सक्सेना, उपमहाप्रबंधक (मार्केट ऑपरेशन)
श्री हरीश राठौर, मुख्य प्रबन्धक (सिस्टम लॉजिस्टिक्स)
श्री अनिल मेहता, नोडल अधिकारी (राजभाषा)

नोडल अधिकारी (राजभाषा) ने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय व सभी सदस्यों का राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में पधारने पर हार्दिक स्वागत किया । अध्यक्ष महोदय ने गत बैठक की समीक्षा की और गत तिमाही की समीक्षा करने के उपरांत सभी विभागों को राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के और अधिक कार्य राजभाषा में करने के लिए प्रोत्साहित किया व कार्यालय के विभिन्न विभागों में हिन्दी की प्रगति हेतु कार्मिकों के प्रयासों को जानने के पश्चात निम्नलिखित निर्णय लिए : -

1.0 21 जून 2018 को नराकास के तत्वाधन में हिन्दी कार्यशाला आयोजित करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

2.0 हिन्दी की पुस्तकें हिन्दी कार्यशाला में पधारे सभी निगमों के प्रतिनिधियों को देने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

3.0 विद्‌युत मंत्रालय व अन्य मंत्रालय से प्राप्त तकनीकी पत्रों के पूर्ण जवाब समय की गंभीरता को देखते हुए नहीं भेजे जा सकते हैं उनके आगे अग्रिम पत्र को हिन्दी में लगा कर भेजा जाए ।

4.0 2018-19 के राजभाषा के "क" क्षेत्र के वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए व सभी विभागद्‌क्याशों से अनुरोध किया कि वे अपने विभाग के कार्मिकों को राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे वार्षिक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके ।

5.0 प्रत्येक विभाग राजभाषा हिन्दी की मास्टर फ़ाइल बनाए जिससे किसी भी राजभाषा संबंधी निरीक्षण के समय उसे निरीक्षणकर्ता को दिखाया जा सके ।

6.0 वित्त विभाग में जमा करने वाले सभी दावों को हिन्दी में ही भरे जाने के बाद स्वीकृत दी जाए ।

अवलोकानार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(अनिल मेहता)

वरिष्ठ कार्यपालक सचिव एवं नोडल अधिकारी (राजभाषा)
दिनांक 12 जून 2018

अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। ED 12/6/18

उपमहाप्रबंधक(मानव संसधन)

12/6